UP Sole Permission

कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश
(उर्वरक अनुभाग)
कृषि भवन,लखनऊ

पंत्राक–उर्वरक / 703 / एफ0सी0ओ0–1 / एफ– / 2021–22 / दिनांक– 06, अगस्त, 2021

मै0 ऑजिक्य केमटेक प्रा0लि0,
एस0आर0 नं0–137, ए / पी–देवाची अरूलि,
पूणे–ससवाड रोड,
तालुका–हवेली, जिला–पूणे (महाराष्ट्र)

अपने आवेदन पत्र दिनांक 02–04–2021 का संदर्भ लें, जिसके द्वारा संस्था ने उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 में वर्गीकृत चिलेटेड जिंक ई0डी0टी0ए0 12 प्रतिशत, चिलेटेड फेरस ई0डी0टी0ए0 12 प्रतिशत, डाई सोडियम ऑक्टाबोरेट टेट्राहाइड्रेट एज बोरान 20 प्रतिशत, जिंक ऑक्साइड सस्पेंशन कन्सट्रेट(39.5 प्रतिशत जेडएन), कन्सट्रेट लिक्विड कैल्शियम 11 प्रतिशत एवं बोरान इथानोमाइन 10 प्रतिशतको उत्तर प्रदेश में आपूर्ति किये जाने की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया है।

विषय संदर्भ में कृषि निदेशक महोदय द्वारा अनुमोदनोपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि संस्था द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्टियों वाले उपरोक्त जैव उर्वरकों को उत्तर प्रदेश में आपूर्ति किये जाने में कृषि विभाग को कोई आपत्ति नही है, तथापि संस्था से उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के सुसंगत प्राविधानों का नियमानुसार अनुपालन अपेक्षित रहेगा। उक्त जैव उर्वरकों को प्रदेश मे विक्रय से पूर्व राज्य स्तरीय अधिसूचित प्राधिकारी से उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रदेश में आपूर्ति की गयी मात्रा की सूचना अधोहस्ताक्षरी एवं सम्बन्धित जिला कृषि अधिकारी को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

उक्त अनुमति वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु मान्य रहेगी।

31/3/2022

(अनिल कुमार पाठक)
संयुक्त कृषि निदेशक (उर्वरक)
उत्तर प्रदेश।

पंत्राक–उर्वरक / / एफ0सी0ओ0–1 / एफ / 2021–22 / दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त मंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संयुक्त कृषि निदेशक (उर्वरक)
उत्तर प्रदेश।